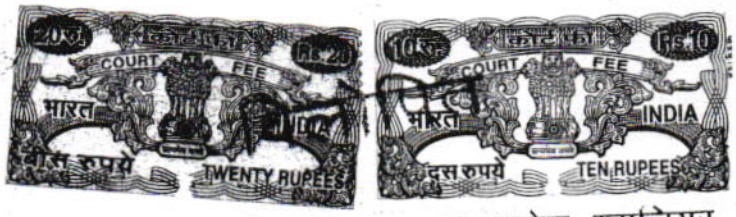

146




न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

निग० 2753-II/16

प्र0 क0 निगरानी —दो / 16

श्री ...................... द्वारा आज दि. 16/8/16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 16-8-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

परताप पुत्र गप्पा उर्फ गम्पा जाति रावत
निवासी ग्राम टकनेरी तहसील व जिला
अशोकनगर म0प्र0

.........आवेदक

विरूद्व

मध्यप्रदेश शासन

..........अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता–1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 27.7.2016 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला अशोकनगर के प्र0क0 06 / अ–21 / 2015–16 से परिवेदित होकर प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1– यह कि, ग्राम टकनेरी तहसील व जिला अशोकनगर स्थित भूमि सर्वे नं0 254 रकवा 0.052 है0 एवं 313 / 1 रकवा 0.546 है0 कुल दो कुल रकवा 0.598 है0 भूमि आवेदक के भूमि स्वामित्व एवं आधिपत्व की भूमि हैं आवेदक के परिवार में उनकी पत्नी तथा 2 पुत्र विवाहित होकर उनके भी पुत्र पुत्रियां हो गये हैं जिस कारण आवेदक का परिवार बड़ हो गया है तथा परिवार बड़ होने के कारण रहन सहन ठीक से नहीं हो पा रहा है परिणाम स्वरूप जगह की कमी एवं पक्के शौचालय की व्यवस्था न हो पाने से आवेदक के दोनों पुत्र जो कि मजदूरी करते हैं उनको

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

---

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2753–दो/16 जिला –अशोकनगर

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 16.8.16 | यह निगरानी कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण कमांक 6 अ–21/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 27–7–16 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।<br><br>2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक परताप पुत्र गप्पा उर्फ गम्पा रावत निवासी ग्राम टकनेरी ने कलेक्टर अशोकनगर को म0प्र0भू–राजस्व संहिता,1959 की धारा 165 के तहत आवेदन देकर ग्राम टकनेरी स्थित उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे कमांक 254 रकवा 0.052 हैक्टेयर तथा सर्वे कमांक 313/1 रकवा 0.598 हैक्टेयर में से 0.209 हैक्टेयर अर्थात् मात्र एक बीघा भूमि के विकय की अनुमति मांगी। कलेक्टर अशोकनगर ने प्रकरण कमांक 6 अ–21/ 2015–16 पंजीबद्ध किया तथा जॉच उपरांत आदेश दिनांक 27–7–2016 पारित करके आवेदक का विकय अनुमति आवेदन | |

निरस्त कर दिया। इसी आदेश से पीढ़ित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3- निगरानी मेमों में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक एवं शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4- तर्को के दौरान आवेदक के अभिभाषक ने बताया कि वादग्रस्त भूमि आवेदक के पट्टे की भूमि नहीं है अपितु पूर्वजों से प्राप्त भूमि है जिसका उपभोग पीढ़ी दर पीढ़ी करते आये है किन्तु अब आवेदक का परिवार इतना बड़ा हो गया है कि असिंचित कृषि भूमि की आय से गुजारा संभव नहीं हो पाता है इसलिये कर्ज पटाकर अन्यत्र शिफ्ट होने के लिये आवेदक सहरिया जाति का होने से भूमि विकय की औपचारिक अनुमति मांग रहा है जिसे कलेक्टर अशोक नगर द्वारा न दिये जाने में भूल की है। उन्होंने निगरानी स्वीकार कर विकय अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की है।

5- आवेदक के अभिभाषक के तर्कानुसार यदि ग्राम टकनेरी स्थित भूमि सर्वे कमांक 254 रकवा 0.052 है0 तथा सर्वे कमांक 313/1 रकवा 0.598 है0 भूमि आवेदक को पूर्वजों से

प्राप्त है और पट्टे की नहीं है तब आवेदक द्वारा चाही गई अनुमति दिये जाने में कोई दोष दिखाई नहीं देता, क्यों कि :-

1- आधुनिक ग्रह निर्माण गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या0 विरूद्ध म0प्र0 राज्य तथा अन्य एक 2013 राजस्व निर्णय 8 ( उच्च न्यायालय) का दृष्टांत है कि म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-165 (7-ख) तथा 158 (3) का लागू होना - उपबन्धों के अन्तः स्थापन के पूर्व का पटट्ा तथा भूमि स्वामी के अधिकार दिये गये - बिना अनुमति के भूमि का अंतरण -उपबन्धों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया - उपबन्ध आकर्षित नहीं होते।

2- भू-राजस्व संहिता 1959 (म0प्र0) 165 (7-ख) तथा 158 (3) का लागू होना- पट्टे की शर्तो का पालन करते हुये 10 वर्ष व्यतीत -रिकॉर्डेड भूमिस्वामी पट्टे के 10 वर्ष उपरांत भूमि के प्रत्येक प्रकार के उपभोग हेतु स्वतंत्र है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आवेदक रिकॉर्डेड भूमिस्वामी है । कलेक्टर अशोकनगर ने आदेश दिनांक 27-7-16 में इस तथ्य को भी विचार में नहीं लिया है कि आवेदक वाद विचारित भूमि का भूमिस्वामी है एवं उक्त भूमि उसे पूर्वजों से प्राप्त है, जिसके कारण आवेदक को विक्रय की अनुमति देने में किसी प्रकार की अड़चन नहीं है।

6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर अशोकनगर द्वारा प्रकरण कमांक 6 अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 27-7-16 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा आवेदक को उसके स्वामित्व की ग्राम टकनेरी स्थित भूमि सर्वे कमांक 313/1 रकवा 0.598 है0 में से मात्र एक बीघा (0.209 है0) भूमि के विकय की अनुमति प्रदान की जाती है।

सदस्य